कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर हिण्डौन जिला करौली (राज०)

क्रमांक- 5804 दिनांक- 7/10/2020

सेवाामे,

श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला- करौली (राज०)

विषय- दिनांक 06/09/2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण मे प्रकाशित समाचार शीर्षक गिरफ्तारी नही रेप पीडिता ने की आत्म हत्या के संम्बन्ध मे रिपोर्ट भिजवाने बावत।

प्रसंग- राजस्थान सम्पर्क परिवाद क्रमांक- 08200678684257 के सन्दर्भ मे।

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 20/08/2020 को एक तहरीरी रिपोर्ट श्रीमति सीतादेवी पत्नि श्री हरीशर्मा उम्र 65 साल जाति ब्राहम्ण निवासी कटकड (गुमानपुरा) ने मय अपने पति हरीशर्मा पुत्र इंन्दर जाति ब्राहम्ण निवासी कटकड के उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेश की कि दिनांक 19.08.2020 को सुबह करीब 10 बजे रामेश्वर मीना पुत्र जोधाराम मीना निवासी कटकड बीचकापुरा मेरे घर गुमानपुरा कटकड मे आया और मेरे से कहा कि पटवारी मेरी पहचान वाला हैं नामांकरण का कार्य करवा दूंगा तू मेरे साथ अकेली हिण्डौन पटवारी के पास चल मै उसके साथ हिण्डौन मे कटकड पटवारी मुकेश मीना के पास करीब 12 बजे आ गई वहॉ पर पटवारी से बात करवाकर वापस घर मुझे कोर्ट मे ले गया जहॉ मै वकील के पास मेरे पुराने मुकदमे की पेसी के बारे मे पूछने गयी इसके बाद वापस गांव घर जाने लगी तो मेरे सिर मे दर्द होने पर मुझे गोली दी और मै उसके साथ मोटरसाईकिल से गांव आने लगी तो वह मुझे रीठोली वाले रास्ते की ओर ले गया और रीठोली से आगे भगजाडे मे उमोल की कोठी के पास मोटर साईकिल रोककर पेशाब करने की कहा मै खेत के रास्ते से आगे पेशाब करने लगी वह पीछे से आकर मुझे बाजरे के खेत मे जबरन घसीट कर ले गया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद मुझे डरा धमका कर घर छोड गया। रात्री को मै बेहाशी की अवस्था मे पडी रही, आज दोपहर मेने मेरी आप बीती मेरे परिजनो को सुनाई आदि पर मु०न०- 395/2020 अपराध धारा 363,376 IPC कायम कर अनुसंधान किया गया।

दौराने अनुसंधान मुस्तगीसा श्रीमति सीतादेवी पत्नि श्री हरीशर्मा उम्र 65 साल जाति ब्राहम्ण निवासी कटकड (गुमानपुरा) व उसके पति गवाह श्री हरीशर्मा पुत्र इंन्दर जाति ब्राहम्ण निवासी कटकड के दिनांक 20/08/2020 को बयान हस्ब दफा 161 Crpc मे लेखबद्ध किये गये। पिडीता श्रीमति सीतादेवी पत्नि श्री हरीशर्मा उम्र 65 साल जाति ब्राहम्ण निवासी कटकड (गुमानपुरा) थाना सदर हिण्डौन का दिनांक 21/08/2020 को मेडीकल बोर्ड से बलात्कार संम्बन्धी मेडीकल मुआयना कराया गया व रिपोर्ट व सैम्पल प्राप्त किये गये। गवाहान नवल किशोर शर्मा, श्री सुमेर चन्द शर्मा, श्री मुकेश कुमार के बयान लेखबद्व किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। दिनांक 25/08/2020 को न्यायालय के समक्ष पिडीता श्रीमति सीतादेवी के धारा 164 Crpc के बयान लेखबद्ध कराये जाकर बयानो की प्रमाणित प्रति दिनांक 31/08/2020 को प्राप्त की गई। घटना की सत्यता की जानकारी की गई व मालुमात की गई। समस्त अनुसंधान व पत्रावली पर उपलबह्ध साक्ष्यो से मुल० रामेश्वर मीना पुत्र जोधाराम मीना निवासी बीचा का पुरा तन कटकड थाना सदर हिण्डौन के खिलाफ अपराध धारा 366,376 IPC का अपराध साबित पाया गया। मुल० रामेश्वर मीना की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीम गठित की गई। दिनांक 07/09/2020 को मुल० रामेश्वर मीना को गिरफ्तार किया जाकर तफ्तीश की गई व उसका पोटेन्सी टेस्ट कराया गया एंव पोटेन्सी रिपोर्ट और सैम्पल प्राप्त किये गये। मुल० रामेश्वर मीना का बाद तफ्तीश न्यायिक अभिरक्षा मे दाखिल कराया गया। प्रकरण मे बाद अनुसंधान चार्जशीट न०- 305 दिनांक 26/09/2020 अन्तर्गत धारा- 366,376 IPC विरुद्व मुल० रामेश्वर मीना के किता की गई है। नजीता शीघ्र न्यायालय मे पेश किया जावेगा।

परिवाद रिपोर्ट सेवामे सादर प्रेषित है।

थानाधिकारी

थाना सदर हिण्डौन

थानाधिकारी

पुलिस थाना सदर हिण्डौन

जिला करौली (राज०)